प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक–एन0ओ0सी0/ 2345-52 /2011–12 दिनॉक– 30.06.2011

विषयः–सेण्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झाँसी, को सी0बी0एस0ई0,बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनॉक–14.07.2009 द्वारा प्रदेश स्थित सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किए जाने के पूर्व संस्थाओ को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का प्राविधान किया गया है, उक्त शासनादेश के अनुपालन में जनपद झाँसी में स्थित संस्था सेण्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झाँसी, के आवेदन पत्र पर मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा बिचार किया गया। समिति द्वारा जॉचोपरान्त सेण्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झाँसी, को सी0बी0एस0ई0, बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः सेण्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झाँसी, को निम्न लिखित प्रतिबन्धो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने मे समिति को आपत्ति नहीं है–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मैधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ0प्र0,माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन,नई दिल्ली/कौंसिल फार द इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो का अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

क्रमशः02 पर....

8. विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओ में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
आयुक्त,
झाँसी मण्डल झाँसी।

पृष्ठांकन सं0 / एन0ओ0सी0 / 2345-52 / 2011–12 तद्दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0,शासन,लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक, आयुक्त, झॉसी मण्डल झॉसी।
3. जिलाधिकारी,झॉसी।
4. शिक्षा निदेशक(मा0)उ0प्र0,लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक,झॉसी।
6. निरीक्षक,आंग्ल भरतीय विद्यालय,उ0प्र0,लखनऊ।
7. प्रबन्धक, सेण्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झॉसी ।

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झॉसी मण्डल झॉसी।

सी0बी0एस0ई0,नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या–

1. **विद्यालय का नामः**–सेन्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झॉसी।
2. **निरीक्षण की तिथिः**–28.04.2011
3. **आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथिः**–संस्था प्रवन्धक ने अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनॉक–21. 04.2011 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र शासनादेश दिनॉक–30.11.91 के प्रतिबन्धो को अंकित करते हुए प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
4. **आवेदन शुल्कः**– निर्धारित शुल्क रूपया 10,000.00 तथा रूपया 800.00 विलम्ब शुल्क सहित कुल रूपया 10800.00 भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा,झॉसी में चालान संख्या–जे0–10105 दिनॉक–18 अप्रेल,2011 द्वारा जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।
5. **सोसायटी का पंजीकरणः**–कैथोलिक डायसीज ऑफ झॉसी एजूकेशनल सोसाइटी, विशप हाउस, 64 कैन्ट,झॉसी, उ0प्र0 के नाम से पंजीकृत है। जिसका पंजीकरण संख्या–515/1989–90 दिनॉक–10.07.89 को निर्गत हुआ है तथा नवीनीकरण संख्या–जे0–247/2009 दिनॉक–25.08.2010 से पॅाच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरण किया गया है, सोसायटी पंजीकरण, प्रवन्ध समिति के सदस्यों की सूची तथा बायलाज संलग्न है।
6. **विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकताः**–विद्यालय गरौठा रोड, गुरसरांय,झॉसी पर स्थित है। निकटवर्ती क्षेत्र गुरसरांय, गरौठा, आदि ग्रामो की आवादी के मध्य पिछड़े क्षेत्र में विद्यालय की आवश्यकता है।
7. **शिक्षक एवं कर्मचारीः**–संस्था में प्रधानाचार्य के अतिरिक्त 14 शिक्षक/शिक्षिकाएं कार्यरत है, तथा 04 शिक्षणेत्तर कर्मी कार्यरत है। शिक्षक/कर्मचारियों की सूची संलग्न है।
8. **वेतन एवं सेवा शर्तेः**–शिक्षक/शिक्षिकाएं तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को लमशम वेतन भुगतान किया जा रहा है। संस्था प्रबन्धन को शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान बैंक के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदन पत्र में कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाने तथा उन्हे राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओ के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तों से कम भुगतान न किये जाने की शर्त शासनादेश दिनॉक–30.11.91 में अंकित प्रतिबन्धों के अनुसार स्वीकार गई है।
9. **भूमिः**–संस्था सोसाइटीज के नाम विद्यालय संचालन हेतु पंजीकृत बैनामे में 34410 वर्गमीटर भूमि उपलब्ध है। खतौनी की छायाप्रति तथा बैनामे की छायाप्रति संलग्न है।
10. **भवनः**– विद्यालय भवन में निर्मित कक्षों की माप एवं उनके उपयोग का विवरण निम्नवत् है।

क0सं0	कक्षो की सं0	माप फीट में	उपयोग
1	2	3	4
1	04	26.09×20.01	कक्षा–कक्ष
2	01	26.09×20.01	कम्प्यूटर लेब
3	01	09.06×103	बरामदा(तलघर)
4	01	27.01×20.06	कक्षा–कक्ष
5	07	27.01×20.01	कक्षा–कक्ष
6	01	27.01×19.11	कार्यालय
7	02	27.01×20	स्टाफ रूम
8	01	27.01×20	श्रव्य दृश्य कक्ष
9	01	27.01×20	प्रयोगशाला लैब
10	01	27.01×20	पुस्तकालय

11	01	11.11×308	बरामदा(भूतल)
12	01	22.06×26.05,	स्टेज–प्रार्थना स्थल एवं खेल का मैदान
13	01	41.4×12.01,	लॉवी

11. **प्रयोगशाला/पुस्तकालय/शिक्षण एवं खेल सामग्रीः–** विद्यालय में प्रयोगशाला निर्मित है जिसमें उपकरण तथा सहायक सामग्री उपलब्ध है। पुस्तकालय में लगभग 1200 पुस्तके उपलब्ध है। प्रधानाचार्य को कम से कम 300 पुस्तके और कय कर पुस्तकालय में रखने हेतु निर्देशित किया गया। विद्यालय में शिक्षण सामग्री के अन्तर्गत ग्लोब, मानचित्र, कम्प्यूटर, शैक्षिक खिलौने तथा खेल उपकरण भी उपलब्ध है।

12. **छात्रांकनः–** विद्यालय में कक्षावार/वर्गवार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं पंजीकृत थे।

क0सं0	कक्षा	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	अ0सं0	सामान्य	योग
1	1	30	02	25	01	90	148
2	2	09	01	30	05	78	123
3	3	17	04	24	01	86	132
4	4	14	02	14	01	44	75
5	5	12	3	9	3	36	63
6	6	10	03	10	01	43	67
महायोग		92	15	112	12	377	608

13. **कीड़ा स्थलः–** विद्यालय प्रांगण में ही विशाल कीड़ा स्थल अवस्थित है।

14. **साज सज्जा एवं काष्ठोपकरणः–** विद्यालय में सोफासेट, सेन्टर टेबिल, ऑफिस चेयर, टेबिल, अलमारियां, पर्दे, दीवाल घड़िया तथा पंखे आदि पर्याप्त संख्या में है। कक्षाओं में छात्र/छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में फर्नीचर उपलब्ध है।

15. **संस्तुतिः**–संस्था ग्रामीण अंचल के पिछड़े क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्रीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संस्था को सी0बी0एस0ई0,नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रकरण विचार किये जाने योग्य है।

भवदीय,

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झॉसी मण्डल झॉसी।

पृष्ठांकन सं0/एन0ओ0सी0/ 698-700 /2011–12 दिनॉक– 07/5/2011

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. आयुक्त,झॉसी मण्डल झॉसी।
2. जिलाधिकारी,झॉसी।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक,झॉसी।
4. प्रबन्धक,प्रधानाचार्य, सेन्ट मैरीज स्कूल,गुरसरांय,झॉसी।

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झॉसी मण्डल झॉसी।

प्रेषक,

जिलाधिकारी
झांसी।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
गरौठा(झांसी)।

पत्रांक/एन0ओ0सी0/ 1704-05 /2011-12 दिनांक- 13.06.2011

विषय-सैण्ट मैरीज स्कूल, गुरसराय, झांसी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1916/15-7-09-1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 द्वारा गठित समिति की बैठक आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी की अध्यक्षता में आयुक्त कार्यालय सभागार में दिनांक-08.06.2011 को आयोजित की गई, जिसमें सैण्ट मैरीज स्कूल, गुरसराय, झांसी को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया।

" उक्त विद्यालय द्वारा प्रस्तुत भू-अभिलेखों एवं भवन का एक सप्ताह के भीतर सत्यापन करा लिया जाये "।

अस्तु आप उक्त विद्यालय के भूमि एवं भवन की सत्यापन आख्या एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-भू-अभिलेखों की छायाप्रतियाँ।

भवदीय

(मनीष चौहान)
जिलाधिकारी
झांसी।

पृ0सं0/एन0ओ0सी0/ 1704-05 /2011-12 तदिनांक।

प्रतिलिपि-आयुक्त झांसी मण्डल, झांसी को अवलोकनार्थ।

(मनीष चौहान)
जिलाधिकारी
झांसी।